कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ए.ई-II/03/WM-I/वर्ग-II/AGT-2025/516/खंड-I/ 1293 दिनांक: 10-06-2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या ए.ई-II/03/WM-I/वर्ग-II/AGT-2025/516/खंड-I/1292 दिनांक 06-06-2025 द्वारा वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT-2025) में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया गया था कि वे उक्त आदेश के साथ संलग्न प्रोफोर्मा (Annexure-'A') में वांछित सूचना एवं वरियता-प्रपत्र (Annexure-'B') में अंकित स्टेशनो की सूची के सामने वरियता संख्या दर्ज कर इस कार्यालय को प्रेषित करें |

इस क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 06-06-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचित किया जाता है कि उक्त आदेश के साथ संलग्न वरियता-प्रपत्र (Annexure-'B') में बुलन्दसहर स्टेशन का नाम दो स्थानों पर, क्रम संख्या 23 एवं 25 पर, अंकित हो गया है | अतः AGT-2025 में स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह क्रम संख्या 25 पर अंकित बुलन्दसहर विकल्प को अनदेखा करें एवं इस क्रम पर कोई वरियता न दें | अतः इस प्रकार कुल स्टेशनो की संख्या 79 हो जाएगी | यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इस विकल्प पर वरियता अंकित करता है तो उससे स्वीकार नहीं किया जाएगा | जिन अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा वरियता-प्रपत्र को पहले ही भर कर इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया है, एवं 23-25 पर एक ही वरियता दर्ज है या जिनके द्वारा केवल किसी एक ही विकल्प पर वरियता दर्ज कि जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, परन्तु भिन्ता की स्थिति में 23 क्रमांक पर अंकित वरियता को माना जाएगा |

वरिष्ठ उप महालेखाकार/डी.ए.सी.सी.

पत्रांक: ए.ई-II/03/WM-I/वर्ग-II/AGT-2025/516/खंड-I/ 143-146 दिनांक: 10-06-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक़)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज |
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कंप्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़)-द्वितीय, प्रयागराज को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें |
3. समस्त अधिशासी अभियंता को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित |
4. समस्त खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से प्रेषित |

वरिष्ठ लेखाधिकारी/WM-I